



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-07012023-241734
CG-DL-W-07012023-241734

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 7—जनवरी 13, 2023 (पौष 17, 1944)
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 7—JANUARY 13, 2023 (PAUSA 17, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	1	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 1
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2022

सं. 289-प्रेस/2022—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

1. श्री किशोर ज्ञानदेव घाडीगांवकर
सहायक विभागीय अग्निशमन अधिकारी
2. श्री सागर जगन्नाथ खोपडे
स्टेशन अधिकारी
3. श्री विशाल चंद्रकांत विश्वासराव
स्टेशन अधिकारी
4. श्री दीपक मधुकर जाधव
स्टेशन अधिकारी
5. श्री संजय सदाशिव गायकवाड़
लीडिंग फायरमैन
6. श्री गणेश देवराव चौधरी
फायरमैन
7. श्री संजय लक्ष्मण निकम
फायरमैन

2. सहायक विभागीय अग्निशमन अधिकारी, श्री किशोर ज्ञानदेव घाडीगांवकर, स्टेशन अधिकारी, श्री सागर जगन्नाथ खोपडे, श्री विशाल चंद्रकांत विश्वासराव, श्री दीपक मधुकर जाधव, लीडिंग फायरमैन, श्री संजय सदाशिव गायकवाड़, फायरमैन श्री गणेश देवराव चौधरी और श्री संजय लक्ष्मण निकम वर्ष 2021 के दौरान महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा में कार्यरत थे।

3. 07.08.2021 को 11.32 बजे कस्तूरबा अस्पताल परिसर, मुंबई में बड़े एलपीजी रिसाव की घटना के बारे में "अन्य सेवा बंद करो संदेश" (गैस रिसाव) प्राप्त हुआ। आनन-फानन में फायर ब्रिगेड की टीम दमकल के साथ मौके पर पहुंची। आगमन पर सहायक विभागीय अग्निशमन अधिकारी श्री के.डी. घडीगांवकर ने एलपीजी रिसाव की स्थिति का आकलन किया। स्टेशन अधिकारी विश्वासराव और टीम के सदस्यों ने देखा कि अस्पताल के पीछे, 10 एमटी की क्षमता वाले एलपी गैस टैंक के क्षतिग्रस्त ड्रेन वाल्व से भारी मात्रा में एलपीजी का रिसाव हो रहा है। दमकल की टीम में स्टेशन अधिकारी वी.सी. विश्वासराव डीएम जाधव, खोपडे और उनके सदस्यों ने साइट पर तीन होज लाइन, कोर्टयार्ड हाइड्रेंट्स से दो होज लाइन और दमकल इंजन से एक छोटी होज लाइन स्प्रे के रूप में तैयार की और एलपीजी के रिसाव को नियंत्रित करने, में लगाया गया। सभी आवश्यक सुरक्षा एहतियाती उपायों को अपनाते हुए एलपीजी टैंक की परिधि के भीतर एलपीजी वायु मिश्रण को विस्फोटक सीमा के नीचे और एलपीजी वायु मिश्रण को प्रतिबंधित रखा। श्री के.डी. घडीगांवकर ने तुरंत, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, माचिस और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया और साइट के आसपास के क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यक दमकल कर्मियों के साथ ऑपरेशन किया। निकटवर्ती अस्पताल भवन संख्या 148 से मरीजों को सुरक्षित स्थान पर निकालने और शिफ्ट करने के संबंध में श्री के.डी. घडीगांवकर ने तुरंत स्टेशन अधिकारी और डॉक्टरों से पुष्टि की। श्री के.डी. घडीगांवकर ने टीम के साथ एलपीजी रिसाव के विनाशकारी प्रभाव के कारण जानमाल के नुकसान से बचने के लिए पुलिस की मदद से घटना स्थल के आसपास के निवासियों सहित 500-600 व्यक्तियों रोगियों, अस्पताल के कर्मचारियों को पूरी तरह सुरक्षित निकालने का कार्य किया। पुलिस और अस्पताल की सुरक्षाकर्मियों की मदद से

आसपास के क्षेत्र से आग के सभी स्रोतों को बंद कर दिया गया और यातायात पुलिस की मदद से वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया। साथ ही आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन और खाली एलपीजी टैंकों की तत्काल सहायता के लिए एचपीसीएल तकनीकी विशेषज्ञ टीम के साथ त्वरित संचार और समन्वय किया गया ताकि लीक एलपीजी टैंक से शेष 5 मीट्रिक टन एलपी गैस को नष्ट करने के लिए आपदा और अग्नि नियंत्रण कक्ष बनाने का अनुरोध किया जा सके। तत्काल अतिरिक्त सहायता के लिए यातायात पुलिस की मदद से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। श्री के.डी. घडीगांवकर के मार्गदर्शन में, एलपीजी के प्रवाह को कम करने के लिए हजमेट वाहन से सीलिंग एजेंट लगाया गया था, लेकिन अत्यधिक दबाव और एलपीजी के भारी प्रवाह के कारण, उनकी टीम को गंभीर ठंड से जलने के कारण पूरे स्थान को सील करना संभव नहीं था। हालांकि अतिरिक्त देखभाल और सुरक्षा रबर के दस्ताने का उचित उपयोग करके सीलिंग एजेंट को लगाया गया, जिससे एलपीजी रिसाव के प्रवाह को कम और नियंत्रित किया जा सके। एलपीजी रिसाव के प्रवाह की तीव्रता को कम करने और एलपीजी टैंक के चारों ओर विस्फोटक रेंज की सीमा के भीतर रखने और प्रतिबंधित करने के लिए पानी के स्प्रे की पांच होज लाइनों का संचालन जारी रखा गया, जिससे इसे प्रज्वलन के किसी भी स्रोत से दूर रखा जा सके। लगभग 1900 बजे मोबाइल टैंकों के पहुंचने के बाद एचपीसीएल की तकनीकी विशेषज्ञ टीम की उपस्थिति में गैस की सफाई की प्रक्रिया पूरी की गई और एचपीसीएल के एस.ओ.पी. के अनुसार खाली एलपीजी टैंक को पानी से भर दिया गया और अंत में पूरे परिसर को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। एचपीसीएल तकनीकी विशेषज्ञ टीम की मदद से 08/08/2021 को 13.24 बजे एलपीजी बुलेट का क्षय और गैसीकरण पूरा किया गया। मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा एलपीजी वाष्प और वायु मिश्रण की विस्फोटक रेंज में लगातार काम करके विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए लगभग 25 घंटे का अथक प्रयास किया गया।

4. सहायक विभागीय अग्निशमन अधिकारी, श्री किशोर ज्ञानदेव घाडीगांवकर, स्टेशन अधिकारी, श्री सागर जगन्नाथ खोपड़े, श्री विशाल चंद्रकांत विश्वासराव, श्री दीपक मधुकर जाधव, लीडिंग फायरमैन, श्री संजय सदाशिव गायकवाड़, फायरमैन श्री गणेश देवराम चौधरी और श्री संजय लक्ष्मण निकम ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता, कुशलनेतृत्व एवमुच्च कोटि के कर्तव्य परायणताका परिचय दिया।

5. यह पुरस्कार वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के अनुसार प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5(क) के अनुसार अनुमय विशेष भत्ता दिनांक 07.08.2021 से इसके साथ देय होगा।

एस.एम. समी
अवर सचिव

सं. 290-प्रेस/2022—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

1. श्री सोम दत्त सोनकर (1st बार टू फायर सर्विस मेडल फोर गैलेंट्री)
फायर स्टेशन ऑफिसर
2. श्री स्वतंत्र कुमार
लीडिंग फायरमैन
3. श्री उत्तम कुमार
लीडिंग फायरमैन
4. श्री उदय राज सिंह
लीडिंग फायरमैन

2. फायर स्टेशन ऑफिसर, श्री सोम दत्त सोनकर, लीडिंग फायरमैन, श्री स्वतंत्र कुमार, श्री उत्तम कुमार और श्री उदय राज सिंह वर्ष 2019 के दौरान उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा में कार्यरत थे।

3. 08.05.2019 को 13.20 बजे एस.एस.डी. प्लाजा, एकता नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। फायर स्टेशन ऑफिसर श्री सोम दत्त सोनकर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और देखा कि आग प्लाजा की पहली मंजिल पर लगी हुई है और यह सभी मंजिलों में फैल रही है। स्थिति का आकलन करने के बाद, उन्होंने रणनीतिक रूप से दमकल गाड़ियों को तैनात किया और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। श्री सोनकर ने बचाव दल का गठन किया, जिसमें उनके नेतृत्व में लीडिंग फायरमैन स्वतंत्र कुमार, उत्तम कुमार और उदय राज सिंह शामिल थे। बचाव दल धुएं से भरी सीढ़ी से दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और पाया कि कई लोग फंसे हुए हैं। पूरी मंजिल धुएं से भर गई थी। बचाव दल ने दूसरी मंजिल से 20 लोगों को बचाया। अपने स्वयं के जीवन की सुरक्षा की परवाह किए बिना, बचाव दल ने अपना खोज और बचाव अभियान जारी रखा। वे घने धुएं से तीसरी और चौथी मंजिल पर चढ़े और चौथी मंजिल पर तीन व्यक्तियों को अर्ध चेतन अवस्था में पाया। बचाव दल ने चौथी मंजिल से तीन लोगों को बचाया। इस आग और बचाव अभियान के दौरान, फायर स्टेशन ऑफिसर, श्री सोम दत्त सोनकर, लीडिंग फायरमैन, श्री स्वतंत्र कुमार, श्री उत्तम कुमार और श्री उदय राज ने 23 लोगों को सुरक्षित बचा लिया।

4. फायर स्टेशन ऑफिसर, श्री सोम दत्त सोनकर, लीडिंग फायरमैन, श्री स्वतंत्र कुमार, श्री उत्तम कुमार और श्री उदय राजय सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता, कुशल नेतृत्व एवम् उच्च कोटि के कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

5. यह पुरस्कार वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के अनुसार प्रदान किये जाते हैं और परिणामतःनियम 5 (क) के अनुसार अनुमय विशेष भत्ता दिनांक 08.05.2019 से इसके साथ देय होगा।

एस. एम. समी
अवर सचिव

सं. 291-प्रेस/2022—राष्ट्रपति, स्वतन्त्रता दिवस 2022 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

1. श्री दिलीप तालूकदार
सब ऑफिसर
असम
2. श्री अनुप कुमार गायन
सब ऑफिसर
असम
3. श्री दिनेश कलिता
लीडिंग फायरमैन
असम
4. श्री के.ए. मनोज कुमार
सीनियर फायर एवं रेस्क्यू ऑफिसर
केरल
5. श्री प्रशांत कुमार दाश
फायर ऑफिसर
ओडिशा
6. श्री मधु सुदन अधिकारी
असिस्टेंट सब फायर ऑफिसर
सिक्किम

2. यह पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3 (ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

एस. एम. समी
अवर सचिव

सं. 292-प्रेस/2022—राष्ट्रपति, स्वतन्त्रता दिवस 2022 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

1. श्री बिप्लव रॉय
स्टेशन ऑफिसर
अरुणाचल प्रदेश
2. श्री गामबो ताडे कोज
स्टेशन ऑफिसर
अरुणाचल प्रदेश
3. श्री दिलीप कुमार बड़ा
सब ऑफिसर
असम

4. श्री दिम्बधर दास
सब ऑफिसर
असम
5. श्री नर कान्त कलिता
लीडिंग फायरमैन
असम
6. श्री चाफातुल्लाह आली
लीडिंग फायरमैन
असम
7. श्री जामा आली
ड्राइवर
असम
8. श्री अंजनी कुमार तिवारी
फायरमैन
छत्तीसगढ़
9. श्री राजेश बाबुभाई बरसा
असिस्टेंट स्टेशन फायर ऑफिसर
दमन दीव, दादर एवं नगर हवेली
10. श्री सोमवीर सिंह
असिस्टेंट डिवीजनल ऑफिसर
दिल्ली
11. श्री निर्मल सिंह
लीडिंग फायरमैन
दिल्ली
12. श्री प्रशांत घनश्याम धारगलकर
सब ऑफिसर
गोवा
13. श्री कुलदीप सिंह
सब फायर ऑफिसर
हिमाचल प्रदेश
14. श्री रामकुमार एन.
डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर
केरल
15. श्री विजयन एन.
असिस्टेंट स्टेशन ऑफिसर
केरल
16. श्री अनिल कुमार एम.
सीनियर फायर एवं रेस्क्यू ऑफिसर
केरल
17. श्री संपत बापूराव कराडे
डिविजनल फायर ऑफिसर
महाराष्ट्र
18. श्री दत्तात्रय बंडू पाटील
लीडिंग फायरमैन
महाराष्ट्र

19. श्री गुरुप्रसाद अनिल सावंत
असिस्टेंट फोरमैन
महाराष्ट्र
20. श्री संदिप रामचंद्र गवळी
ड्राइवर ऑपरेटर
महाराष्ट्र
21. श्री मोइआ रमटीआमं
फायरमैन
मिजोरम
22. श्री जय कुमार सिंह
हवलदार (एफ. एवं ई.एस.)
नागालैंड
23. श्री विजय चंद्र पात्र
लीडिंग फायरमैन
ओडिशा
24. श्री सर्वेश्वर मिश्र
ड्राइवर हवलदार
ओडिशा
25. श्री खरगा बहादुर गुरूंग
लीडिंग फायरमैन
सिक्किम
26. श्री आरूमुगम रामचंद्रन
स्टेशन ऑफिसर (ट्रांसपोर्ट)
तमिलनाडु
27. श्री कूत्तन पंचवर्णम
लीडिंग फायरमैन
तमिलनाडु
28. श्री परमशिवम कंदसामी
फायरमैन ड्राइवर
तमिलनाडु
29. श्री रेंगराजन रामचंद्रन
फायरमैन
तमिलनाडु
30. श्री वेंकटेश्वर राव येरगुंटा
लीडिंग फायरमैन
तेलंगाना
31. श्री फरीद शेख
लीडिंग फायरमैन
तेलंगाना
32. श्री तापस कुमार बनर्जी
डिविजनल फायर ऑफिसर
पश्चिम बंगाल

33. श्री श्यामल दे
लीडर
पश्चिम बंगाल
34. श्री मधु कुमार प्रधान
लीडर
पश्चिम बंगाल
35. श्री अमर चंद्रा साहा
फायर ऑपरेटर
पश्चिम बंगाल
36. श्री अजीत रक्षित
फायर ऑपरेटर
पश्चिम बंगाल
37. श्री शिवाजी गेनु मोरे
स्टेशन ऑफिसर
रक्षा मंत्रालय
38. श्री दिपक राजाराम सावंत
लीडिंग फायरमैन
रक्षा मंत्रालय

2. यह पुरस्कार सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमावली के नियम 3 (ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

एस. एम. समी
अवर सचिव

सं. 293-प्रेज/2022—राष्ट्रपति, मिजोरम नागरिक सुरक्षा के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

1. श्री ललहरूएटलु आंग
लांस कॉर्पोरल
मिजोरम
2. श्री लालथलूरा ख्यांगते
गाड्समैन
मिजोरम

2. दिनांक 31.01.2022 को गृ.र. सं.- 278 लांस कॉर्पोरल श्री ललहरूएटलुआंग, और गृ.र. सं.-633 गाड्समैन श्री लालथलूरा जिला जेल चम्फाई में तैनात थे।

3. दिनांक 31.01.2022 को रात 11.45 बजे दो नए कैदियों, केस क्रमांक 39/40/2021 यू/एस 380/380/244 आईपीसी, को जिला जेल, चम्फाई में लाया गया। जिन्हें कोविड गाइड लाइन के कारण एक अलग सेल में रखा गया था।

4. 31.01.2022 की रात जिला जेल, चम्फाई में लांस कॉर्पोरल श्री ललहरूएटलुआंग गार्ड कमांडर थे और गाड्समैन श्री लालथलूरा टावर नंबर 2 पर तीसरी पाली की झूटी पर तैनात थे।

5. दोनों नए अपराधी आधी रात में अपनी सेल को तोड़कर बाहर निकलने में सफल रहे और बाहरी बाड़ को काट रहे थे तभी झूटी पर तैनात गाड्समैन श्री लालथलूरा ने उन्हें देखा। वे नुकीले धातु के औजारों से लैस थे जिनका इस्तेमाल उन्होंने अपनी सेल को तोड़ने के लिए किया था। वे अपने औजारों से टिन की चादरों (जो आमतौर पर टिन की छत के रूप में उपयोग की जाती हैं) से बनी बाहरी बाड़ को काट रहे थे। गार्ड ने तुरंत लांस कॉर्पोरल श्री ललहरूएटलुआंग को सूचित किया और अपनी जान जोखिम में डालकर बिना नुकसान पहुंचाए झड़प के बाद दोनों कैदियों को पकड़ लिया।

6. श्री ललहरूपेटलु आंग और श्री लालथलूरा ख्यांगते ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता, कुशल नेतृत्व एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

7. यह पुरस्कार वीरता के लिए गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(1) के अनुसार प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5 के अनुसार अनुमय विशेष भत्ता देय होगा।

एस. एम. समी
अवर सचिव

सं. 294-प्रेज/2022—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

1. श्री पवन कुमार मिश्र
कम्पनी कमाण्डर (गृ.र.)
बिहार
2. श्री सोहन पाल सिंह तोमर
डिप्टी चीफ वार्डन (ना.सु.)
दिल्ली
3. श्रीमती करोलिना फर्नाडीस
सेकंड इन कमांड (गृ.र.)
गोवा
4. श्री भीम सैन
कमाण्डेंट (गृ.र.)
हिमाचल प्रदेश
5. श्री रोहित साहू
कंपनी कमाण्डर (गृ.र.)
ओडिशा
6. श्री बिनोद कुमार पाट्टी
कंपनी कमाण्डर (गृ.र.)
ओडिशा
7. श्री जगदीश प्रसाद रावत
डिप्टी कंट्रोलर (ना.सु.)
राजस्थान

2. यह पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3 (ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

एस. एम. समी
अवर सचिव

सं. 295-प्रेज/2022—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

1. श्री प्रेम नाथ सोनोवाल
हवलदार (गृ.र.)
असम
2. श्री हरेकृष्ण मेथि
कॉन्स्टेबल (गृ.र.)
असम

3. श्री सुरेश कुमार होता
कंपनी हवलदार मेजर (गृ.र.)
छत्तीसगढ़
4. श्री भगवानों साहू
हवलदार (गृ.र.)
छत्तीसगढ़
5. श्रीमती ममता जेहोआस
सैनिक
छत्तीसगढ़
6. श्री सतनाम सिंह
डिविजनल वार्डन (ना.सु.)
दिल्ली
7. श्री सुनील पराशर
पोस्ट वार्डन (ना.सु.)
दिल्ली
8. श्री जितेन्द्र कुमार दीक्षित
प्लाटून कमांडर (गृ.र.)
दिल्ली
9. श्री सुमित वर्मा
गृह रक्षक
दिल्ली
10. श्री नारायण तिमा पागी
असिस्टेंट सेक्शन लीडर (गृ.र.)
गोवा
11. श्री प्रजापती गोविंदभाइ केशाभाइ
हेड क्लर्क & इन्. जुनियर स्टाफ ऑफिसर (गृ.र.)
गुजरात
12. श्री हेमजीभाइ हरजीभाइ परमार
नायक (गृ.र.)
गुजरात
13. श्री दशरथसिंह जेठाजी चावडा
सुबेदार कंपनी कमांडर (गृ.र.)
गुजरात
14. मोहम्मदमकसूद कलुमिया मलेक
डिप्टी डिविजनल वार्डन (ना.सु.)
गुजरात
15. शेख मोहमंदनवेद अब्दुलरजाक
डिप्टी चीफ वार्डन (ना.सु.)
गुजरात
16. श्री जय पाल
गृह रक्षक
हिमाचल प्रदेश
17. श्री शिवानंदप्पा जी ई
प्लाटून कमांडर (गृ.र.)
कर्नाटक

18. श्री एच लक्ष्मीनारायण
प्लाटून कमाण्डर (गृ.र.)
कर्नाटक
19. श्री विश्राम सिंह चौहान
स्वयंसेवी प्लाटून कमाण्डर (गृ.र.)
मध्य प्रदेश
20. श्री नासिर अली
सैनिक
मध्य प्रदेश
21. श्री राम बालकृष्ण पिंजरकर
हवलदार इंस्ट्रक्टर (गृ.र.)
महाराष्ट्र
22. श्री खरनेश ए. संगमा
सब-इंस्पेक्टर (गृ.र.)
मेघालय
23. श्री थीमोथी मारबनियंग
हवलदार (गृ.र.)
मेघालय
24. श्री टी लियाना
कंपनी क्वार्टर मास्टर सर्जेंट (गृ.र.)
मिजोरम
25. श्री ज्ञानेंद्र मल्लिआ
नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक
ओडिशा
26. श्री एस परशुराम रेड्डी
गृह रक्षक
ओडिशा
27. श्री प्रदीप कुमार सतपथी
गृह रक्षक
ओडिशा
28. डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी
स्वयंसेवक (ता.सु.)
राजस्थान
29. श्री रवि प्रकाश
प्लाटून कमाण्डर (गृ.र.)
राजस्थान
30. श्री विटो प्लाका जैकोब
एरिया कमांडर (गृ.र.)
तमिलनाडु
31. श्री राधा रमन शंकर राज
प्लाटून कमांडर (गृ.र.)
तमिलनाडु
32. श्री छल्ला अशोक रेड्डी
गृह रक्षक
तेलंगाना

33. श्री चंदा सुरेश
गृह रक्षक
तेलंगाना
34. श्री मोहम्मद अब्दुल शुक्र बेग
गृह रक्षक
तेलंगाना
35. श्री मनोज वर्मा
असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर (एस.एस.)
उत्तर प्रदेश
36. श्री जावेद अली खान
पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड-1, (ना.सु.)
उत्तर प्रदेश
37. श्री सुनील कुमार शुक्ला
डिविजनल वार्डन (ना.सु.)
उत्तर प्रदेश

2. यह पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमावली के नियम 3 (ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

एस. एम. समी,
अवर सचिव

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसंबर 2022

सं. 10-5/2022-यू.3(ए)—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, किसी उच्च शिक्षण संस्थान को यूजीसी की सलाह पर समवत विश्वविद्यालय घोषित करने का अधिकार है।

2. और जबकि, केंद्र सरकार ने, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, दिनांक 20.02.2009 की अधिसूचना संख्या 9-42/2006-यू3(ए) के तहत 'कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन', विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश को कतिपय शर्तों के अधीन, पांच वर्ष की अनंतिम अवधि के लिए 'समवत विश्वविद्यालय संस्थान' घोषित किया था।

3. और जबकि, केंद्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर, दिनांक 11.07.2017 व 06.05.2019 की अधिसूचना संख्या 9-42/2006-यू3(ए)खंड 2 के तहत, 'कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन' विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के समवत विश्वविद्यालय के दर्जे को कतिपय शर्तों के साथ क्रमशः 20.02.2014 से 19.02.2019 और 20.2.2019 से 19.02.2024 तक की अवधि के लिए बढ़ाया/नियमित किया।

4. और इसके बाद जबकि, केंद्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर दिनांक 19.01.2018 की अधिसूचना संख्या 10-3/2017 यू.3 (ए) के माध्यम से कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश को अजीजनगर, मोइनाबाद रोड, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में एक ऑफ-कैंपस सेंटर शुरू करने की अनुमति दी।

5. और जबकि, कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, आंध्र प्रदेश ने दिनांक 06.05.2022 को यूजीसी पोर्टल पर ग्रेटर हैदराबाद के मेडचल मलकाजगिरी जिले के बोरामपेट गांव में एक ऑफ-कैंपस सेंटर स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आवेदन की जांच करने और इस मंत्रालय को अपनी सलाह प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

6. और जबकि, यूजीसी ने एक स्थायी समिति के माध्यम से आवेदन की जांच की, जिसने सर्वसम्मति से ग्रेटर हैदराबाद के मेडचल मलकाजगिरी जिले के बोरामपेट गांव में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने से पहले कुछ शर्तों के साथ कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की।

7. और इसके बाद जबकि, केंद्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर दिनांक 12.08.2022 को कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश को 3 साल की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किया:

- i) कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश अपरिवर्तनीय सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से समवत विश्वविद्यालय के नाम पर स्थायी रूप से 10 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि बनाए रखने के लिए विधिक वचनपत्र देगा।

- ii) समवत विश्वविद्यालय, जहां भी लागू हो, ग्रेटर हैदराबाद के मेडचल मलकाजगिरी जिले के बोरामपेट गांव में शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित पाठ्यक्रमों/कार्यक्रम के लिए संबंधित सांविधिक परिषद(दों) का अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- iii) 25 शिक्षकों की संकाय संख्या के साथ शिक्षक छात्र अनुपात 1:20 से कम नहीं होना चाहिए और नियमित क्लास रूम मोड के तहत न्यूनतम प्रस्तावित 500 छात्र रोल पर होने चाहिए जिनमें से कम से कम 1/3 पीजी/शोध छात्र हों और शोध कार्यक्रमों के साथ कम से कम 3 पीजी विभाग होने चाहिए।
- iv) अवसंरचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/संगत सांविधिक परिषदों द्वारा निर्धारित की गई होनी चाहिए।
- v) निर्मित क्षेत्र प्रति छात्र 30 वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए जिसमें शैक्षणिक, प्रशासनिक, सामान्य सुविधाएं और मनोरंजन सुविधाएं शामिल होंगी।

8. और जबकि, संस्थान ने दिनांक 06.09.2022 के पत्र के माध्यम से एलओआई की शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सत्यापन किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 10.10.2022 के अपने पत्र संख्या 10-3/2022 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से सूचित किया है कि समवत विश्वविद्यालय ने एलओआई की शर्तों को पूरा किया है और सिफारिश की है कि मंत्रालय शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 से ग्रेटर हैदराबाद के मेडचल मलकाजगिरी जिले के बोरामपेट गांव में एक ऑफ-कैंपस सेंटर शुरू करने के लिए समवत विश्वविद्यालय को अनुमति देने पर विचार कर सकता है। यूजीसी की सिफारिश को यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया था।

9. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, यूजीसी की सलाह पर कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश को शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 से ग्रेटर हैदराबाद के मेडचल मलकाजगिरी जिले के बोरामपेट गांव में एक ऑफ-कैंपस सेंटर शुरू करने की अनुमति प्रदान करता है।

10. सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के बाद आयोग द्वारा उक्त ऑफ-कैंपस की समीक्षा की जाएगी। यह अनुमति यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 और केंद्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी अन्य प्रासंगिक मानकों/नियमों/विनियमों/निर्देशों के अनुपालन के अधीन है।

विजयलक्ष्मी महादेवन,
अवर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 28.12.2022

संकल्प

सं. ईआरबी-1/2021/23/23—रेल मंत्रालय ने इस मंत्रालय के दिनांक 21.07.2021 के समसंख्यक पत्र के संकल्प के तहत गठित यात्री सेवा समिति को तत्काल प्रभाव से भंग करने का विनिश्चय किया है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस.के. अग्रवाल
संयुक्त सचिव (राज.)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th August 2022

No. 289-Pres/2022—The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under mentioned officers/officials of Maharashtra Fire Services:—

1. Sh. Kishor Dnyandeo Ghadigaonkar
Assistant Divisional Fire Officer
2. Sh. Sagar Jagannath Khopade
Station Officer
3. Sh. Vishal Chandrakant Vishwasrao
Station Officer
4. Sh. Deepak Madhukar Jadhav
Station Officer
5. Sh. Sanjay Sadashiv Gaikwad
Leading Fireman
6. Sh. Ganesh Devram Chaudhari
Fireman
7. Sh. Sanjay Laxman Nikam
Fireman

2. Assistant Divisional Fire Officer, Sh. Kishor Dnyandeo Ghadigaonkar, Station Officer, Sh. Sagar Jagannath Khopade, Sh. Vishal Chandrakant Vishwasrao, Sh. Deepak Madhukar Jadhav, Leading Fireman, Sh. Sanjay Sadashiv Gaikwad, Fireman Sh. Ganesh Devram Chaudhari and Sh. Sanjay Laxman Nikam were working in Maharashtra Fire Services during the year 2021.

3. On 07.08.2021 at 11.32 hrs a “Stop Other Service Message” (Gas Leakage) was received about the major LPG leakage incident in Kasturba Hospital Compound, Mumbai. Immediately, Fire Brigade team with fire appliances rushed to the spot. On arrival Assistant Divisional Fire Officer Sh. K.D. Ghadigaonkar took a round for sizing up the situation of LPG leakage and noticed and learnt from Station Officer Sh. V.C. Vishwasrao and team members that a huge amount of LPG was severely leaking from the damaged drain valve of L.P. Gas Tank, having capacity of 10 MT, behind the hospital. The fire brigade team comprising of Station Officer Sh. V.C. Vishwasrao, D.M. Jadhav, Khopade and their members at the site had prepared three hose lines i.e., two hose lines from the Courtyard hydrants and one small hose line from fire engine in the form of spray and pressed into operation of reducing, controlling the leakage of LPG and restricting the LPG vapours-air mixture below the explosive range and barring LPG Air mixture within the periphery of LPG Tank by adopting all the necessary safety precautionary measures. Assistant Divisional Fire Officer immediately, ordered to prohibit the use of electric and electronic items, matchsticks and other flammable items and carried out operation with minimum required fire brigade personnel in the vicinity of the site. Assistant Divisional Fire Officer, immediately confirmed from Station Officer and doctors regarding the evacuation and shifting of patients from the adjoining hospital building No. 148 to the place of safety. Assistant Divisional Fire Officer along with the team executed complete safe evacuation of 500-600 persons, patients, hospital staff, including surrounding residents all around the incident site with the help of Police to avoid loss of lives due to catastrophic effect of LPG leakage. All the sources of ignition from nearby vicinity were closed with the help of police, and the movement of vehicles was stopped with the help of traffic police. Simultaneously quick communication and coordination was made with the HPCL technical expert team for urgent aid of Emergency Response Vehicle and empty LPG Tankers for the decanting & degassing of remaining 5 MT of LP Gas from the leaking LPG Tank by requesting Disaster and Fire Control Room to create green corridor with the help of traffic police for urgent additional aid. Under the guidance of Assistant Divisional Fire Officer, the sealing agent from the HAZMAT vehicle was applied to reduce the flow of LPG, but due to excessive pressure and huge flow of LPG, it was not possible to seal entire place due to severe frost burn injuries to his team. However, by taking additional care and proper use of safety rubber gloves the sealing agent was applied, thereby reducing and controlling the flow of LPG leakage. The operation of five hose lines of water spray was continued to reduce intensity of flow of LPG leakage and to minimize and restrict the formation of LPG cloud within the limit of explosive range around the LPG Tank, thereby keeping it away from any source of ignition. After arriving of mobile tankers at around 1900 hrs, process of decanting of gas was completed in the presence of technical expert team of HPCL and empty LPG tank was filled with the water as per SOP of HPCL and finally the entire premises was declared safe. Decantation & Degassing of LPG Tank was

Completed on 8/8/21 at 13.24 hrs with the help of HPCL Technical Expert Team. It took tireless effort of almost 25 hours for the successful safe operation to avoid catastrophic impact by continuously working in the explosive range of LPG vapors and air mixture by team of Mumbai Fire Brigade.

4. Assistant Divisional Fire Officer, Sh. Kishor Dnyandeo Ghadigaonkar, Station Officer, Sh. Sagar Jagannath Khopade, Sh. Vishal Chandrakant Vishwasrao, Sh. Deepak Madhukar Jadhav, Leading Fireman, Sh. Sanjay Sadashiv Gaikwad, Fireman Sh. Ganesh Devram Chaudhari and Sh. Sanjay Laxman Nikam thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise, leadership and devotion to duty of a very high order.

5. These awards are made for gallantry under Rule 3 (i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5 (a) w.e.f. 07.08.2021.

S.M. SAMI
Under Secretary

No. 290-Pres/2022—The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under mentioned officers/officials of Uttar Pradesh Fire Service:-

- i) Sh. Som Dutt Sonkar (1st Bar to Fire Service Medal for Gallantry)
Fire Station Officer
- ii) Sh. Swatantra Kumar
Leading Fireman
- iii) Sh. Uttam Kumar
Leading Fireman
- iv) Sh. Uday Raj Singh
Leading Fireman

2. Fire Station Officer, Sh. Som Dutt Sonkar, Leading Fireman, Sh. Swatantra Kumar, Sh. Uttam Kumar and Sh. Uday Raj Singh were working in Uttar Pradesh Fire Service during the year 2019.

3. On 08.05.19 at 13.20 hrs, a call was received about the fire incident at S.S.D. Plaza Ekta Nagar, Bareilly, Uttar Pradesh. Fire Station Officer Sh. Som Dutt Sonkar along with his team reached the spot and found that the fire is on the first floor of the Plaza, and it was spreading all over the floors. After making assessment of the situation, he strategically deployed fire engines and started firefighting operation. Sh. Sonkar constituted a rescue team, consisting of Leading Firemen Swatantra Kumar, Uttam Kumar and Uday Raj Singh under his leadership. The rescue team climbed up the second floor through the smoke filled stair case and found many persons were trapped there. The entire floor was filled with smoke. The team rescued 20 persons from the second floor. Without caring for the safety of their own life, the rescue team continued their search and rescue operation. They climbed up the third and fourth floor through densely filled smoke and found three persons in semi-conscious state on the fourth floor. The fire team rescued three persons from there. During this fire and rescue operation, Fire Station Officer, Sh. Som Dutt Sonkar, Leading Fireman, Sh. Swatantra Kumar, Sh. Uttam Kumar and Sh. Uday Raj safely rescued 23 persons.

4. Fire Station Officer, Sh. Som Dutt Sonkar, Leading Fireman, Sh. Swatantra Kumar, Sh. Uttam Kumar and Sh. Uday Raj Singh thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise, leadership and devotion to duty of a very high order.

5. These awards are made for gallantry under Rule 3 (i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with its special allowance admissible under rule 5 (a) w.e.f. 08.05.2019.

S.M. SAMI,
Under Secretary

No. 291-Pres/2022—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2022 to award the President's Fire Service Medal for Distinguished Service to the under mentioned officers :—

1	SH. DILIP TALUKDAR SUB – OFFICER ASSAM
---	--

2	SH. ANUP KUMAR GAYAN SUB – OFFICER ASSAM
3	SH. DINESH KALITA LEADING FIREMAN ASSAM
4	SH. K.A. MANOJKUMAR SENIOR FIRE & RESCUE OFFICER KERALA
5	SH. PRASANTA KUMAR DASH FIRE OFFICER ODISHA
6	SH. MADHU SUDHAN ADHIKARI ASSISTANT SUB FIRE OFFICER SIKKIM

2. These awards are made under Rule 3 (ii) of the rules governing the award of President's Fire Service Medal for Distinguished Service.

S.M. SAMI
Under Secretary

No. 292-Pres/2022—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2022 to award the Fire Service Medal for Meritorious Service to the under mentioned officers :—

1	SH. BIPLAB ROY STATION OFFICER ARUNACHAL PRADESH
2	SH. GAMBO TADE KOJ STATION OFFICER ARUNACHAL PRADESH
3	SH. DILIP KUMAR BORAH SUB – OFFICER ASSAM
4	SH. DIMBADHAR DAS SUB – OFFICER ASSAM
5	SH. NARA KANTA KALITA LEADING FIREMAN ASSAM
6	SH. SAFATULLAH ALI LEADING FIREMAN ASSAM
7	SH. JAMA ALI DRIVER ASSAM
8	SH. ANJANI KUMAR TIWARI FIREMAN CHHATTISHGARH
9	SH. RAJESH BABUBHAI BARSA ASSISTANT STATION FIRE OFFICER DADRA, NAGAR HAVELI, DAMAN & DIU

10	SH. SOMVIR SINGH ASSISTANT DIVISIONAL OFFICER DELHI
11	SH. NIRMAL SINGH LEADING FIREMAN DELHI
12	SH. PRASHANT GHANASHYAM DHARGALKAR SUB – OFFICER GOA
13	SH. KULDEEP SINGH SUB FIRE OFFICER HIMACHAL PRADESH
14	SH. RAMAKUMAR N. DISTRICT FIRE OFFICER KERALA
15	SH. VIJAYAN N. ASSISTANT STATION OFFICER KERALA
16	SH. ANILKUMAR M. SENIOR FIRE & RESCUE OFFICER KERALA
17	SH. SAMPAT BAPURAO KARADE DIVISIONAL FIRE OFFICER MAHARASHTRA
18	SH. DATTATRAY BANDU PATIL LEADING FIREMAN MAHARASHTRA
19	SH. GURUPRASAD ANIL SAWANT ASSISTANT FOREMAN MAHARASHTRA
20	SH. SANDEEP RAMCHANDRA GAVALI DRIVER OPERATOR MAHARASHTRA
21	SH. MAWIA RAMTIAM FIREMAN MIZORAM
22	SH. JOY KUMAR SINGH HAVILDAR (F&ES) NAGALAND
23	SH. BIJAYA CHANDRA PATRA LEADING FIREMAN ODISHA
24	SH. SARBESWAR MISHRA DRIVER HAVILDAR ODISHA
25	SH. KHARGA BAHADUR GURUNG LEADING FIREMAN SIKKIM

26	SH. ARUMUGUM RAMACHANDRAN STATION OFFICER (TRANSPORT) TAMIL NADU
27	SH. KOOTHAN PANCHAVARNAM LEADING FIREMAN TAMIL NADU
28	SH. PARAMASIVAM KANDASAMY FIREMAN DRIVER TAMIL NADU
29	SH. RENGARAJAN RAMACHANDRAN FIREMAN TAMIL NADU
30	SH. VENKATESWARA RAO YERRAGUNTA LEADING FIREMAN TELANGANA
31	SH. FAREED SHAIK LEADING FIREMAN TELANGANA
32	SH. TAPAS KUMAR BANERJEE DIVISIONAL FIRE OFFICER WEST BENGAL
33	SH. SHYAMAL DEY LEADER WEST BENGAL
34	SH. MADHU KUMAR PRADHAN LEADER WEST BENGAL
35	SH. AMAR CHANDRA SAHA FIRE OPERATOR WEST BENGAL
36	SH. AJIT RAKSHIT FIRE OPERATOR WEST BENGAL
37	SH. SHIVAJI GENU MORE STATION OFFICER M/O DEFENCE
38	SH. DEEPAK RAJARAM SAWANT LEADING FIREMAN M/O DEFENCE

2. These awards are made under Rule 3 (ii) of the rules governing the award of Fire Service Medal for Meritorious Service.

S.M. SAMI
Under Secretary

No. 293-Pres/2022—The President is pleased to award the Home Guards and Civil Defence Medal for Gallantry to the under mentioned officials of Mizoram Civil Defence:—

- (i) Sh. Lalhruaitluanga,
Lance Corporal

- (ii) Sh. Lalthalura Khiangte,
Guardman

2. HG No- 278 Lance Corporal Sh. Lalhruitluanga, and HG No. 633 GM Sh. Lalthalura were posted at District Jail Champhai during incident on 31.01.2022.

3. On 31.01.2022, 11.45 PM, two new convicts in connection with Case Gr No. 39/40/2021 U/s 380/380/244, IPC were imprisoned in District Jail, Champhai. They were kept at a separate cell due to Covid SoPs.

4. L/Cp Lalhruitluanga was the Guard Commander and GM Lalthalura was on 3rd shift duty at tower No. 2 at District Jail, Champhai on the night of 31.01.2022.

5. The both new convicts managed to break out of their cell around midnight and were cutting the outer fencing when a Guardsman Sh. Lalthalura on duty spotted them. They were armed with sharp metal tools which they used to break their cell. They were cutting the outer fencing made of tin sheets (which are commonly used as tin roof) with their tools. The guard immediately informed the Lance Corporal Sh. Lalhruitluanga and they put their lives in danger and managed to capture the two convicts after a brief fight without firing a single shot.

6. Sh. Lalhruitluanga and Sh. Lalthalura Khiangte performed their duties and responsibilities with conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion of duty of a very high order.

7. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Home Guards and Civil Defence Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under Rule 5.

S.M. SAMI
Under Secretary

No. 294-Pres/2022—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2022 to award the President's Home Guards and Civil Defence Medal for Distinguished Service to the under mentioned officials:—

1. Sh. Pawan Kumar Mishra,
Company Commander (HG)
Bihar
2. Sh. Sohan Pal Singh Tomar,
Deputy Chief Warden, (CD)
Delhi
3. Mrs. Carolina Fernandes,
2nd in Command, (HG)
Goa
4. Sh. Bhim Sen
Commandant, (HG)
Himachal Pradesh
5. Sh. Rohit Sahoo,
Company Commander (HG)
Odisha
6. Sh. Binod Kumar Padhi,
Company Commander (HG)
Odisha
7. Sh. Jagdish Prasad Rawat,
Deputy Controller, (CD)
Rajasthan

2. These awards are made under Rule 3 (ii) of the rules governing the award of President's Home Guards and Civil Defence Medal for Distinguished Service.

S.M. SAMI,
Under Secretary

No. 295-Pres/2022—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2022 to award the Home Guards and Civil Defence Medal for Meritorious Service to the under mentioned officials:—

1. Sh. Premo Nath Sonowal,
Havildar (HG)
Assam
2. Sh. Harekrishna Medhi,
Constable (HG)
Assam
3. Sh. Suresh Kumar Hota,
Company Havaladar Major (HG)
Chhattisgarh
4. Sh. Bhagwano Sahu,
Havaladar (HG)
Chhattisgarh
5. Smt. Mamta Jehoash,
Sainik (HG)
Chhattisgarh
6. Sh. Satnam Singh,
Divisional Warden (CD)
Delhi
7. Sh. Sunil Parasher,
Post Warden (CD)
Delhi
8. Sh. Jitender Kumar Dixit,
Platoon Commander (HG)
Delhi
9. Sh. Sumit Verma
Volunteer (HG)
Delhi
10. Sh. Narayan Tima Pagi,
Assistant Section Leader (HG)
Goa
11. Sh. Prajapati Govindbhai Keshabhai,
Head Clerk And Incharge Junior Staff Officer (HG)
Gujarat
12. Sh. Hemjibhai Harjibhai Parmar,
Naik (HG)
Gujarat
13. Sh. Dasharathsinh Jethaji Chavda,
Subedar Company Commander (HG)
Gujarat
14. Mohammedmaqsood Kalumiya Malek,
Deputy Divisional Warden (CD)
Gujarat
15. Mohammednaved Abdulrazak Shaikh,
Deputy Chief Warden (CD)
Gujarat

16. Sh. Jai Pal
Home Guard (HG)
Himachal Pradesh
17. Sh. Shivanandappa G. E,
Platoon Commander (HG)
Karnataka
18. Sh. Harijana Lakshminarayana,
Platoon Commander, (HG)
Karnataka
19. Sh. Vishram Singh Chouhan,
Volunteer Platoon Commander (HG)
Madhya Pradesh
20. Sh. Nasir Ali,
Sainik (HG)
Madhya Pradesh
21. Sh. Ram Balkrishna Pinjarkar,
Havildar Instructor (HG)
Maharashtra
22. Sh. Kharnesh A. Sangma,
Sub-Inspector, (HG)
Meghalaya
23. Sh. Timothy Marbaniang,
Havildar (HG)
Meghalaya
24. Sh. T. Liana,
Company Quarter Master Sergeant, (HG)
Mizoram
25. Sh. Gyanendra Mallia,
Volunteer (CD)
Odisha
26. Sh. S. Parsuram Reddy,
Home Guard
Odisha
27. Sh. Pradeep Kumar Satapathy,
Home Guard
Odisha
28. Dr. Jitendra Kumar Soni,
Volunteer (CD)
Rajasthan
29. Sh. Ravi Prakash,
Platoon Commander (HG)
Rajasthan
30. Sh. Vitto Placka Jacob,
Area Commander (HG)
Tamilnadu
31. Sh. Radha Ramanan Sankar Raj,
Platoon Commander (HG)
Tamilnadu

32. Sh. Challa Ashok Reddy,
Volunteer (HG)
Telangana
33. Sh. Chanda Suresh,
Volunteer (HG)
Telangana
34. Shri Md. Abdul Shukur Baig,
Volunteer (HG)
Telangana
35. Sh. Manoj Verma,
Assistant Deputy Controller (S.S) (CD)
Uttar Pradesh
36. Sh. Javed Ali Khan,
Personal Assistant Grade-I (CD)
Uttar Pradesh
37. Sh. Sunil Kumar Shukla,
Divisional Warden (CD)
Uttar Pradesh

2. These awards are made under Rule 3 (ii) of the rules governing the award of Home Guards and Civil Defence Medal for Meritorious Service.

S.M. SAMI
Under Secretary

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 27th December 2022

No. 10-5/2022-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.9-42/2006-U3(A) dated 20.02.2009, on the advice of UGC, had declared 'Koneru Lakshmaiah Education Foundation', Vijayawada, Andhra Pradesh as an 'Institution Deemed to be University', for a provisional period of five years, subject to certain conditions.

3. And whereas, the Central Government, vide Notification Nos. 9-42/2006-U3(A) Vol.2 dated 11.07.2017 & 06.05.2019, on the advice of the UGC, extended/regularized the status of Deemed to be University of 'Koneru Lakshmaiah Education Foundation' Vijayawada, Andhra Pradesh for a period from 20.02.2014 to 19.02.2019 & 20.2.2019 to 19.02.2024 respectively with certain conditions.

4. And further whereas, the Central Government, vide Notification No.10-3/2017 U.3(A) dated 19.01.2018, on the advice of the UGC, permitted Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Vijayawada, Andhra Pradesh to start an Off-Campus Centre at Aziznagar, Moinabad Road, Rangareddy district, Telangana.

5. And whereas, Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Andhra Pradesh uploaded online application on 06.05.2022 on UGC Portal for setting up an off-campus Centre at Bowrampet Village, Medchal Malkajgiri District, Greater Hyderabad. UGC was requested to examine the application and furnish its advice to this Ministry.

6. And whereas, UGC examined the application through a Standing Committee that unanimously recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Vijayawada, Andhra Pradesh with certain conditions before starting of an off-campus centre at Bowrampet Village, Medchal Malkajgiri District, Greater Hyderabad.

7. And further whereas, the Central Government, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) on 12.08.2022 to Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Vijayawada, Andhra Pradesh for fulfilment of the following conditions within a period of 3 years:

- i. Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Vijayawada, Andhra Pradesh shall give legal undertaking for maintaining Corpus fund of Rs. 10 Crore permanently in the name of the Deemed to be University by way of irrevocable Government Securities.
- ii. The Deemed to be University shall obtain approval of respective Statutory Council(s), wherever applicable, for the Courses/Programme proposed to be started at Bowrampet Village, Medchal Malkajgiri District, Greater Hyderabad.
- iii. The teacher student ratio should not be less than 1:20 with a faculty strength of not less than 25 teachers and a minimum of 500 proposed students on the rolls under the regular class room mode, of which not less than one third being PG/research students; and at least 3 PG departments with research programmes.
- iv. The infrastructure should be as prescribed by the UGC/relevant Statutory Council(s).
- v. The built up area should not be less than 30 sq. mts. per student which shall include academic, administrative, common and recreational facilities.

8. And whereas, the Institution, vide letter dated 06.09.2022, submitted compliance report in respect of conditions of LoI. The compliance report of the Institution was verified by UGC. UGC, vide its letter No.10-3/2022 (CPP-I/DU) dated 10.10.2022, conveyed that the Deemed to be University has fulfilled the conditions of LoI and recommended that the Ministry may consider granting permission to the Deemed to be University to start an Off-Campus Centre at Bowrampet Village, Medchal Malkajgiri District, Greater Hyderabad from the academic year 2022-2023. The recommendation of UGC was approved by Chairman, UGC.

9. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby permits Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Vijayawada, Andhra Pradesh to start an off-campus centre at Bowrampet Village, Medchal Malkajgiri District, Greater Hyderabad from the academic year 2022-2023.

10. The said off-campus shall be reviewed by the Commission after a period of five years from the date of Notification by the Government. This permission is subject to the compliance of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019 and other relevant Norms / Rules / Regulations / Directions / Notifications issued by the Central Government, UGC and other Statutory Councils, from time to time.

VIJAYALAKSHMI MAHADEVAN
Under Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 28th December 2022

RESOLUTION

No. ERB-I/2021/23/23—Ministry of Railways have decided to dissolve the Passenger Services Committee, constituted vide this Ministry's Resolution of even number dated 21.07.2021, with immediate effect.

JAYA VARMA SINHA
Secretary

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S.K. AGARWAL
Joint Secretary (Gaz)